

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 146/2025

दायर दिनांक: 13.08.2025

उनवान

भगवानबाई पत्नि स्व. गोपाल जाति कुम्हार नि. सांगरिया तहसील सुनेल

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील सुनेलजिला झालावाड

— अप्रार्थी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक : 24/09/2025

प्रार्थीया भगवानबाई पत्नि स्व. गोपाल जाति कुम्हार नि. सांगरिया तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, भगवानबाई का आधार कार्ड (812427616077), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (YJQ1999515), ग्राम सांगरिया का नामा.सं. 789 दिनांक 20.03.2004 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सांगरिया प०म० सांगरिया तहसील सुनेल की जमाबन्दी सं. 2071-74 के खाता संख्या 276 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया के नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है -

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम सांगरिया प०म० सांगरिया तहसील सुनेल	276	भगवतीबाई पत्नि स्व. गोपाल	भगवानबाई उर्फ भगवतीबाई पत्नि स्व. गोपाल

  
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़ राज०



3

क्रमांक:- राजस्व/2025/146

दिनांक 24/09/2025

प्रतिलिपी - तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड राज0

4;